

संख्या:-434/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उओप्रओ शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उओप्रओ राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 01 मई 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 48 जनपदों के 4800 स्वयंसेवक/वालेन्टियर को आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रदान किये जाने एवं स्वयंसेवकों हेतु प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री, आई0कार्ड, प्रमाणपत्र हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-54/राओआओप्रओ/2025-26, दिनांक 16.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से प्रदेश के 48 जनपदों के 4800 स्वयंसेवक/वालेन्टियर के आपदा मित्र प्रशिक्षण हेतु विगत वित्तीय वर्ष में निर्गत की गयी धनराशि रू0 5,94,09,600/- के सापेक्ष समर्पित की गई धनराशि रू0 5,94,09,600/- को वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से पुनः स्वीकृत/आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05-07-2024 में प्राप्त कार्योत्तर अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 4800 स्वयंसेवकों को आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किये जाने हेतु 12 दिवसीय प्रशिक्षण तथा स्वयंसेवकों हेतु प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री, आई0कार्ड, प्रमाणपत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में दी गयी धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर समर्पित की गयी धनराशि रू0 5,94,09,600/- (पांच करोड़ चौरानबे लाख नौ हजार छः सौ) की वित्तीय स्वीकृति राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उओप्रओ राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्त/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उओप्रओ राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का ड्रायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उओप्रओ राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का होगा।

- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 5,94,09,600/- (पांच करोड़ चौरानवे लाख नौ हजार छः सौ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 30-04-2025 (शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:-434(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र०, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, 30प्र०, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र० शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र०।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।


Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-02/05/2025

प्रेषण संख्या:- 434
आवंटन आदेश संख्या:- 001-434
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान	59409600	59409600
		प्रगामी	59409600	59409600
	योग	वर्तमान	59409600	59409600
		प्रगामी	59409600	59409600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ चौरानवे लाख नौ हजार छः सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ चौरानवे लाख नौ हजार छः सौ


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी